Order with initials of ...

Date	
13.05.2026	

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते दस्तावेज प्रदर्श ए–76 पर कारित कूटरचना की एफएसएल से जांच करवाये जाने बाबत पेश किया गया जो निम्न प्रकार है –

यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के द्वारा साक्ष्य के दौरान मुख्य परीक्षा में दस्तावेज प्रदर्श ए–76 प्रस्तुत किया गया है। इस दस्तावेज पर देने से मना कर दिया रिमार्क के उपर मकान खाली कर दिया, एक लाईन अतिरिक्त रूप से लिखी गई है। प्रदर्श ए–76 दस्तावेज पर लेने से मना कर दिया और मकान खाली कर दिया दोनों लाईन एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही समय लिखा जाना साबित करने के लिए प्रतिवादी द्वारा जाहिर किया जा रहा है, जबकि इन दोनों लाईनों की इबारत देखने मात्र से जाहिर हो जायेगा कि उपर वाली "लाईन मकान खाली कर दिया है," अतिरिक्त रूप से बाद में लिखी गई है, यह डाक 551 शास्त्री नगर कोटा पर बैंक द्वारा भेजा जाना जाहिर करने और ऐसी डाक को लेने से मना कर दिया रिमार्क के साथ सिटी कौरियर द्वारा प्रकट किया बावजूद इसके इस डाक को स्वयं प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी ने वादी को मुकदमे में क्षति कारित करने और संपत्ति से वंचित करने के आशय से दस्तावेज प्रदर्श ए 76 में कूटरचना कारित की है। प्रदर्श ए 76 कूटरचित दस्तावेज है इसमें तथाकथित रूप से कौरियर पर्सन के द्वारा लिखी गई लाइन का आपस में मिलान नहीं हो रहा है, इसलिए दस्तावेज प्रदर्श ए 76 पर लगाये गये रिमार्क में कूटरचना की गई है। इस संबंध में एफएसएल के हस्तलिपि विशेषज्ञ से राय तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अंत में दस्तावेज प्रदर्श ए–76 पर न्यायहित में विशेषज्ञ राय तलब किये जाने का अनुरोध किया।

अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब नहीं देकर सीधे ही बहस की।

प्रार्थी/वादी का कथन है कि प्रदर्श ए–76 को प्रतिवादी की ओर से पेश किया गया है जिसका कथन है कि उक्त मकान खाली कर दिया है तथा लेने से मना कर दिया है इबारत प्रतिवादी सुरेश जैन ने जानबूझकर गलत लिखी है तथा कूटरचना की है। उक्त लिफाफा प्रतिवादी ने पेश किया है तथा उसके पास से उक्त लिफाफा कहां से आया यह स्पष्ट नहीं है, केवल वादी अशोक जैन का कब्जा नहीं दिखाने के आशय से उक्त इबारत लिखी गई है।

अप्रार्थी/प्रतिवादी सुरेश जैन का कथन है कि उक्त पत्र स्टेट बैंक ऑफ पटियाला द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया है, इसका कोई अंकन नहीं है। उक्त लिफाफा प्रतिवादी द्वारा दिनांक 13.12.2018 को पेश किया गया है जिसकी कॉपी वादी को उसी समय दे दी गई थी लेकिन वादी ने 2018 से ऑब्जेक्शन नहीं किया है।

यह कि बहस का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी अशोक जैन द्वारा जो वाद पेश किया गया है वह संपत्ति के बंटवारे व आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित प्रकरण है। प्रदर्श ए–76 एक कोरियर का लिफाफा है जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला द्वारा अशोक कुमार जैन के नाम भेजा गया है। उक्त लिफाफे का जो प्रदर्श ए–76 है उसका मामले के गुणावगुण पर कोई असर नहीं पड़ता। उक्त विवेचन के आधार पर उक्त लिफाफे को जांच हेतु नहीं भेजा जाता तथा प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रदर्श ए–76 की एफएसएल जांच के संबंध में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 18/5/26 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम–1 कोटा (राज.)

अशोक जैन पुत्र स्
स्कीम शास्त्री नगर
सामने रणथम्भौर स

1. सुरेश जैन पुत्र स्व
स्कीम शास्त्री नगर
2. राजेश बाई पुत्री स्
13/471 कावेरी प
3. उप पंजीयन कोटा
4. सुशीला देवी (मृतक

Exparte 9/1/25

1. श्रीमती प्रेमलता
2. नरेन्द्र गुप्ता पु
3. श्रीमती सरोज
4. श्रीमती अनिता
5. श्रीमती सीता ग
निवासीगण मक

मान्यवर,

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–1, कोटा (राज.)

कोटा
दिनांक
9/1/2025

File

Order with initials of Presiding Officer

Date	

13.05.2026

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते दस्तावेज प्रदर्श ए–76 पर कारित कूटरचना की एफएसएल से जांच करवाये जाने बाबत पेश किया गया जो निम्न प्रकार है –

यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के द्वारा साक्ष्य के दौरान मुख्य परीक्षा में दस्तावेज प्रदर्श ए–76 प्रस्तुत किया गया है। इस दस्तावेज पर देने से मना कर दिया रिमार्क के उपर मकान खाली कर दिया, एक लाईन अतिरिक्त रूप से लिखी गई है। प्रदर्श ए–76 दस्तावेज पर लेने से मना कर दिया और मकान खाली कर दिया दोनों लाईन एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही समय लिखा जाना साबित करने के लिए प्रतिवादी द्वारा जाहिर किया जा रहा है, जबकि इन दोनों लाईनों की इबारत देखने मात्र से जाहिर हो जायेगा कि उपर वाली "लाईन मकान खाली कर दिया है," अतिरिक्त रूप से बाद में लिखी गई है, यह डाक 551 शास्त्री नगर कोटा पर बैंक द्वारा भेजा जाना जाहिर करने और ऐसी डाक को लेने से मना कर दिया रिमार्क के साथ सिटी कौरियर द्वारा प्रकट किया बावजूद इसके इस डाक को स्वयं प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी ने वादी को मुकदमे में क्षति कारित करने और संपत्ति से वंचित करने के आशय से दस्तावेज प्रदर्श ए 76 में कूटरचना कारित की है। प्रदर्श ए 76 कूटरचित दस्तावेज है इसमें तथाकथित रूप से कौरियर पर्सन के द्वारा लिखी गई लाइन का आपस में मिलान नहीं हो रहा है, इसलिए दस्तावेज प्रदर्श ए 76 पर लगाये गये रिमार्क में कूटरचना की गई है। इस संबंध में एफएसएल के हस्तलिपि विशेषज्ञ से राय तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अंत में दस्तावेज प्रदर्श ए–76 पर न्यायहित में विशेषज्ञ राय तलब किये जाने का अनुरोध किया।

अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब नहीं देकर सीधे ही बहस की।

प्रार्थी/वादी का कथन है कि प्रदर्श ए–76 को प्रतिवादी की ओर से पेश किया गया है जिसका कथन है कि उक्त मकान खाली कर दिया है तथा लेने से मना कर दिया है इबारत प्रतिवादी सुरेश जैन ने जानबूझकर गलत लिखी है तथा कूटरचना की है। उक्त लिफाफा प्रतिवादी ने पेश किया है तथा उसके पास से उक्त लिफाफा कहां से आया यह स्पष्ट नहीं है, केवल वादी अशोक जैन का कब्जा नहीं दिखाने के आशय से उक्त इबारत लिखी गई है।

अप्रार्थी/प्रतिवादी सुरेश जैन का कथन है कि उक्त पत्र स्टेट बैंक ऑफ पटियाला द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया है, इसका कोई अंकन नहीं है। उक्त लिफाफा प्रतिवादी द्वारा दिनांक 13.12.2018 को पेश किया गया है जिसकी कॉपी वादी को उसी समय दे दी गई थी लेकिन वादी ने 2018 से ऑब्जेक्शन नहीं किया है।

यह कि बहस का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी अशोक जैन द्वारा जो वाद पेश किया गया है वह संपत्ति के बंटवारे व आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित प्रकरण है। प्रदर्श ए–76 एक कोरियर का लिफाफा है जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला द्वारा अशोक कुमार जैन के नाम भेजा गया है। उक्त लिफाफे का जो प्रदर्श ए–76 है उसका मामले के गुणावगुण पर कोई असर नहीं पड़ता। उक्त विवेचन के आधार पर उक्त लिफाफे को जांच हेतु नहीं भेजा जाता तथा प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रदर्श ए–76 की एफएसएल जांच के संबंध में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 18/5/26 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश

अशोक जैन पुत्र स्व...
स्कीम शास्त्री नगर ...
सामने रणथम्भौर स...

1. सुरेश जैन पुत्र स्व. ...
स्कीम शास्त्री नगर ...
2. राजेश बाई पुत्री स्व. ...
13/471 कावेरी पथ ...
3. उप पंजीयन कोटा
4. सुशीला देवी (मृतक)

ExParte 9/1/25

1. श्रीमती प्रेमलता ...
2. नरेन्द्र गुप्ता पुत्र ...
3. श्रीमती सरोज गु...
4. श्रीमती अनिता गु...
5. श्रीमती सीता गुप्...
निवासीगण मकान ...

वा...

मान्यवर,

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–1, कोटा (राज.) संशो...

कोटा
दिनांक
9/1/2025
File